उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(विकास शाखा)

दिनांक 05.07.2017 को उपायुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न DMFT के प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए DMFT के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का उल्लेख कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु जिला योजना पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा रामगढ़ को निदेश दिया गया।

तद्नुसार एजेण्डावार विमर्शोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

1. **कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा :–**
   i. **शौचालय निर्माण** :– ODF के तहत् व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की 46675 योजनाएँ, जिसके लिए कुल 51.01 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है, का व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक अप्राप्त है। इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। कार्यपालक अभियंता, पेजयल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण की शत–प्रतिशत योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ के साथ प्रगति प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करें। साथ ही, इसका बेहतर उपयोग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करें।

   ii. **सोलर आधारित जलापूर्ति योजना** :– सोलर आधारित पेयजलापूर्ति योजनाएँ जिसका प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर अधिचायचित राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसका कार्यान्वयन एक माह के अन्दर पूरा करने तथा प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

   iii. **Mobile Medical Unit For MTC** :- सिविल सर्जन, रामगढ़ द्वारा संचालित MTC हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि कुल 50.00 लाख रूपये का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया उन्हें पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार सभी सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विधिवत् Documentation करने का पुनः निदेश दिया गया।

   iv. **पंचायतों में PGC का निर्माण** :– PGC निर्माण हेतु गोला प्रखण्ड के डी0वी0सी0 चौक के आस–पास उपयुक्त भूमि का चयन करने तथा पतरातू एवं माण्डू प्रखण्ड में PGC निर्माण हेतु चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण कर DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

2. **योजनाओं का अनुमोदन**

   विमर्शोपरान्त समिति द्वारा निम्न योजनाओं का अनुमोदन किया गया :–

   i. **विद्यालय में Computer Lab, Library एवं MDM Shed का निर्माण** :– जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को इस संबंध में पूर्ण विवरणी के साथ सूची दो दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

   ii. **PHCs/CHCs में आवश्यक उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराना** :– सिविल सर्जन, रामगढ़ को इससे संबंधित केन्द्र का सूची एवं संभावित व्यय का प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

   iii. **शव–वाहन तथा तीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना** :– सदर अस्पताल एवं पुलिस मुख्यालय हेतु एक–एक शव–वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सदर अस्पताल के लिए तीन एम्बुलेंस क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सिविल सर्जन, रामगढ़ को विधिवत् कोटेशन के साथ प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

   iv. **रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना** :– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ के पत्रांक 981 दिनांक 13.06.2017 से प्राप्त Estimate पर चर्चा की गयी। समिति द्वारा इस योजना को अनुमोदित करते हुए इसका तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से कराने हेतु कार्यपालक अभियंता,

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया। साथ ही, मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, रामगढ़ कैन्ट से इससे संबंधित सहमति पत्र प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

v. **पूर्व में स्वीकृत सोलर आधारित पेयजलापूर्ति योजना का स्थल परिवर्तन** :– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि पूर्व में स्वीकृत सोलर आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं में से कुल 29 का स्थल परिवर्तन Water Level की अनुपलब्धता/भूमि विवाद तथा भूमिगत खादान होने के कारण किया गया है। विमर्शोपरान्त कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ के पत्रांक 1029 दिनांक 23.06.2017 से प्राप्त संबंधित प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

vi. **दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण/उपस्कर/कृत्रिम अंग का वितरण** :– दिव्यांगों को दी जाने वाली आवश्यक उपकरण/उपस्कर/कृत्रिम अंगों के विरण हेतु उपयुक्त लाभुकों की सूची DMFT की न्यास परिषद की बैठक में रखने हेतु निदेश दिया गया। इसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला से ग्राम सभा कराते हुए लाभुकों की पहचान कर सूची प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

vii. **PMU का गठन** :– DMFT के कार्यों की व्यापकता के मद्देनजर PMU गठन की कार्रवाई अविलम्ब पूरा करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया। PMU गठन की लिए तैयार किये गये प्रस्ताव के हरेक पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन कर आपना विचार/मंतव्य दिनांक 08.07.2017 तक समर्पित करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़, वाणिज्य कर उपायुक्त, रामगढ़ अंचल एवं जिला लेखा पदाधिकारी, रामगढ़ को संयुक्त रूप से निदेश दिया गया। PMU के गठन हेतु 09 (नौ) सदस्यीय दल का गठन निम्नवत् करने का निदेश दिया गया :–

1-	उप विकास आयुक्त, रामगढ़	–	अध्यक्ष
2-	जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य
3-	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य
4-	स्थापना उप समाहर्ता, रामगढ़	–	सदस्य
5-	जिला लेखा पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य
6-	श्रीमती मोनिका रानी टूटी, कार्य0दण्डा0, रामगढ़	–	सदस्य
7-	वाणिज्य कर उपायुक्त, रामगढ़	–	सदस्य
8-	जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य
9-	कार्य0अभि0, प0नि0वि0, पथ प्रमण्डल, रामगढ़	–	सदस्य

viii. **कुपोषण निवारण हेतु संचालित MTC योजना का Documentary तैयार करना** :– पूर्व के बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में MTC से संबंधित Documentary निर्माण हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए इसे अविलम्ब तैयार कर You Tube पर Upload करने का निदेश दिया गया।

ix. **रामगढ़ गाँधीघाट में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण** :– इससे संबंधित DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

x. **Library का निर्माण** :– रामगढ़ गाँधी घाट के समीप उपयुक्त स्थल चयन कर एक Modern Library के निर्माण हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इसके लिए DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

xi. **मार्केट शेड का निर्माण** :– रामगढ़ जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ सप्ताहिक बाजार, हाट लगता है, वहाँ मार्केट शेड बनाने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इसके लिए स्थल चयन एवं DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–रामगढ़ को निदेश दिया गया।

3. <u>अन्यान्य</u>

समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :–

i. पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा रामगढ़ जिला में शांति एवं सुव्यवस्था हेतु विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार निगरानी हेतु CCTV/Drone Camera क्रय करने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया।

समिति द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए DPR के साथ प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ दिया गया।

ii. DMFT, रामगढ़ द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के नियमित अनुश्रवण एवं Online Data Entry के लिए One system App विकसित करने हेतु EOI प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

iii. माननीय सासंद / विधायक / जन प्रतिनिधियों द्वारा DMFT की अनुशंसित योजनाओं का उपयोगिता / ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

iv. पेयजल की बड़ी योजनाएँ जिसका अनुमोदन मंत्रीमण्डल, झारखण्ड सरकार से प्रात की गयी है, उसे आगामी DMFT की न्यास परिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। साथ ही, स्कृत्यादेश में वर्णित Recurring Cost का वहन DMFT Fund से करने के संबंध में उल्लेखित शर्त पर सरकार से दिशा–निदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

v. दिव्यांग विद्यालय भवन का निर्माण DMFT निधि से कराने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। तद्नुसार DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

vi. रामगढ़ छावनी क्षेत्र को ODF करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रस्ताव समर्पित करने एवं छावनी परिषद्, रामगढ़ से विधिवत् अनुमोदन हेतु कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

vii. भैरवा जलाशय, गोला को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर समर्पित करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़ निदेश दिया गया।

viii. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–रामगढ़ से प्राप्त पुल–पुलिया निर्माण की योजनाओं के प्रस्ताव को अनुमोदित कर योजनावार इसकी उपयोगिता प्राप्त करने का निदेश दिया गया, ताकि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्थलीय जाँचोपरान्त इसकी सम्पुष्टि कराकर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

उक्त सभी निर्णयों पर न्यास परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त कराने का निर्णय लिया गया।

तदोपरान्त बैठक में दिये गये निदेशों पर शीघ्र कार्रवाई कर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0 / –

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।

ज्ञापांक 856 / वि0 रामगढ़, दिनांक 22/07 / 2017

प्रतिलिपिः– **सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

21/7/17

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।